

फा. सं०.349/75/2017-जीएसटी
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड
जीएसटी नीति स्कंध

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई, 2017

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त/प्रधान आयुक्त/आयुक्त, केन्द्रीय कर (सभी)/प्रणाली
महानिदेशक

महोदया/महोदय,

**विषय: केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत पंजीकरण और संरचना के
अलावा अन्य प्रावधानों से संबंधित उचित अधिकारी के संबंध में ।**

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम (2017 का 13) की धारा 20 के साथ पठित
केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 2 के खण्ड (91)
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम,
2017 की धारा 5 की उप-धारा (2) के अध्यक्षीन, बोर्ड, एतद्वारा उक्त तालिका के स्तम्भ
(3) में तदनुसारी प्रविष्टि में इसके अंतर्गत दिए गए नियमों या केंद्रीय माल और सेवा कर
अधिनियम, 2017 की विभिन्न धाराओं के संबंध में उचित अधिकारियों के रूप में कार्य, नीचे
तालिका के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को सौंपता है :-

तालिका

क्र. सं०.	अधिकारी का पदनाम	केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 या इसके अंतर्गत बनाए गए नियम की धारा के अंतर्गत कार्य
(1)	(2)	(3)
1.	प्रधान आयुक्त/आयुक्त, केन्द्रीय कर	i. धारा 67 की उप-धारा (7) ii. धारा 78 का परंतुक
2.	अपर या संयुक्त आयुक्त, केन्द्रीय कर	i. धारा 67 की उप-धारा (1), (2), (5) और (9) ii. धारा 71 की उप-धारा (1) और (2) iii. धारा 81 का परंतुक iv. धारा 129 की उप-धारा (6) का परंतुक v. नियम 139 का उप-नियम (1),(2),(3) और (4)

		vi. नियम 140 का उप-नियम (2)
3.	उप या सहायक आयुक्त, केन्द्रीय कर	i. धारा 54 की उप-धारा (5), (6), (7) और (10) ii. धारा 60 की उप-धारा (1), (2) और (3) iii. धारा 63 iv. धारा 64 की उप-धारा (1) v. धारा 65 की उप-धारा (6) vi. धारा 74 की उप-धारा (1), (2), (3), (5), (6),(7), (9), (10) vii. धारा 76 की उप-धारा (2), (3), (6) और (8) viii. धारा 79 की उप-धारा (1) ix. धारा 123 x. धारा 127 xi. धारा 129 की उप-धारा (3) xii. धारा 130 की उप-धारा (6) और (7) xiii. धारा 142 की उप-धारा (1) xiv. नियम 82 का उप-नियम (2) xv. नियम 86 का उप-नियम (4) xvi. नियम 86 का स्पष्टीकरण xvii. नियम 87 का उप-नियम (11) xviii. नियम 87 हेतु स्पष्टीकरण (2) xix. नियम 90 का उप-नियम (2) और (3) xx. नियम 91 का उप-नियम (2) और (3) xxi. नियम 92 का उप-नियम (1), (2), (3), (4) और (5) xxii. नियम 93 हेतु स्पष्टीकरण xxiii. नियम 94 xxiv. नियम 96 का उप-नियम (6) xxv. नियम 97 का उप-नियम (2) xxvi. नियम 98 का उप-नियम (2), (3), (4), (5) और (7) xxvii. नियम 100 का उप-नियम (2) xxviii. नियम 101 का उप-नियम (2), (3), (4) और (5) xxix. नियम 143 xxx. नियम 144 का उप-नियम (1), (3), (4), (5), (6) और (7)

		<p>xxxi. नियम145 का उप-नियम (1) और (2)</p> <p>xxxii. नियम 146</p> <p>xxxiii. नियम 147 का उप-नियम (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (10),(11), (12), (14) और (15)</p> <p>xxxiv. नियम 151 का उप-नियम(1),(2) और (3)</p> <p>xxxv. नियम152</p> <p>xxxvi. नियम 153</p> <p>xxxvii. नियम 155</p>
--	--	---

		xxxviii. नियम 156
4.	अधीक्षक, केन्द्रीय कर	i. धारा 35 की उप-धारा (6) ii. धारा 61 की उप-धारा (1) और (3) iii. धारा 62 की उप-धारा (1) iv. धारा 65 की उप-धारा (7) v. धारा 66 की उप-धारा (6) vi. धारा 67 की उप-धारा (11) vii. धारा 70 की उप-धारा (1) viii. धारा 73 की उप-धारा (1), (2), (3), (5), (6), (7), (9) और (10) ix. नियम 56 का उप-नियम (6) x. नियम 99 का उप-नियम (1), (2) और (3) xi. नियम 132 का उप-नियम (1) xii. नियम 142 का उप-नियम (1), (2), (3) और (7) xiii. नियम 150
5.	निरीक्षक, केन्द्रीय कर	i. धारा 68 की उप-धारा (3) ii. नियम 56 का उप-नियम (17) iii. नियम 58 का उप-नियम (5)

2 यह अनुरोध किया जाता है कि इस परिपत्र की सामग्री के प्रचार हेतु उपयुक्त व्यापार नोटिस जारी किया जाए ।

3 उक्त अनुदेशों के कार्यान्वयन में, कठिनाई, यदि कोई हो, को कृपया बोर्ड के ध्यान में लाया जाए ।

-ह/-

(उपेन्द्र गुप्ता) आयुक्त (जीएसटी)